लादूराम बनाम लोक निर्माण विभाग व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्याः 87/2025

10.07.2025

बहस वकील प्रार्थी व तहसीदार सांगानेर से उक्त खसरा नम्बरान बाबत् मौका रिपोर्ट व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि तहसील सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट में तहसीलदार सांगानेर का ने अंकन किया है कि राजस्व ग्राम मोहनपुरा के खसरा नम्बर 360 रकबा 0.60 है0 किस्म गै.मु.सडक की वर्तमान खातेदारी लादूराम पुत्र कल्याण हि. पूर्ण जाति मीणा सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर में वर्तमान में नोट नम्बर 7 से दिनांक 30.08.2019 खसरा नम्बर 360 सभी काश्तकार पर अपर सिविल न्यायाधीश क्रम 26 जयपुर महानगर प्रकरण संख्या 256/2013 नोट लगा हुआ है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के वर्तमान ख0नं0 360 साबिक (पुराने) ख0नं0 192 व 197 से बना है। जमाबन्दी संख्या 2017 से 2020 व 2024 से 2027 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 192 की किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 197 की किस्म बंजड दोयम थी लेकिन भू– प्रबन्ध की कार्यवाही द्वारा साबिक खसरा नम्बर 192 व 197 से बने वर्तमान ख0न0 360 की किस्म गै.मु.सडक कर दी गई जबकि वर्तमान ख0न0 360 के मौके पर पश्चिम सीमा की ओर लगती हुई उत्तर से दक्षिण की ओर डामर की सडक बनी हुई है। जो केवल 0.2000 है0 भूमि में ही बनी हुई है। तथा शेष भूमि 0.4000 है0 में कोई सडक नही है और मौके खाली है जिससे से स्पष्ट होता हे कि ख0न0 360 के कुल रकबे में से 0.2000 है0 भूमि में ही सडक बनी हुई है। तथा शेष भूमि 0.4000 है0 में कोई सडक नही है और मौके खाली है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू अभि. नि. क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित आराजी भूमि ख़सरा न० 360 रकबा 0.60 है० में से रकबा 0.2000 है0 में बनी सडक को छोडकर शेष रकबा 0.4000 है0 को बटटा नम्बर डालकर किश्म गैर मुमकिन सडक से बारानी कायम अकित किये जाने व इसी अनुसार नक्शे में तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)